

केन्द्रीय जल आयोग
CENTRAL WATER COMMISSION

सं० ई-11013/2/2007/हिन्दी/ 249

भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय
केन्द्रीय जल आयोग
(हिन्दी अनुभाग)

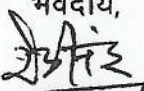
713 (द.), सेवा भवन,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दूरभाष सं०. 011-26716029
दिनांक : 05.6.2012

21.6.

विषय :- राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित 1987) नियम 10 (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को अधिसूचित करने के संबंध में।

जल संसाधन मंत्रालय के दिनांक 27.02.2012 के पत्र संख्या-1/1/2008/हिन्दी/453-505 के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता (प्रबोधन) कार्यालय बेंगलुरु को राजभाषा नियम-1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है (प्रतिलिपि संलग्न)। अतः केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय नियमानुसार इस कार्यालय के साथ पत्राचार हिंदी में करें। यह भी सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालय में कार्यरत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा नियम 8 (4) के तहत हिंदी में काम करने के लिए व्यक्तिशः आदेश (By name order) जारी करें।

संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय,

(श्री सिंह) 05.6.1
उप निदेशक
(रा.भा.)

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, प्रबोधन (दक्षिण), केन्द्रीय जल आयोग, जल सौध, एच एम टी पोस्ट,
बेंगलुरु - 560 013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सभी मुख्य अभियंता, (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय), केन्द्रीय जल आयोग।
3. निदेशक (राजभाषा), जल संसाधन मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली।
4. निदेशक / उपनिदेशक, एसएमडी, केन्द्रीय जल आयोग, अनुरोध है कि इसे केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर डाल दिया जाए।
5. सभी निदेशक / शाखा अधिकारी / अवर सचिव / सभी अनुभाग, मंडल / परिमंडल कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।

आवश्यक कार्रवाई हेतु

नीति
22/6

उप निदेशक
एचएमटी
22/6

शरमा जी

(To be published in the Gazette of India. Part II Sub Section-2 of Section-3)

No. 1/1/2008-Hindi
Government of India
Ministry of Water Resources

Shram Shakti Bhawan, New Delhi,
27.02.2012

Notification

S. O. In pursuance of Sub-Rule(4) of rule (10) of the Official Languages (use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the office of the Chief Engineer, Monitoring (S) Organisation, Central Water Commission, Bangalore of this ministry, the 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi.


(Rameshbabu Aniyery)
Director(OL)
Tel : 23714374

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road, New Delhi.

No. 1/1/2008-Hindi

Dated : the 27.02.2012

Copy forwarded for information to :-

1. All Ministries/Depts. Of Govt. of India.
2. Union Public Service Commission, Dhaultpur House, Shahjahan Road, New Delhi.
3. Controller & Auditor General of India, Pocket-9, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi 110124.
4. Election Commission of India, Parliament Street, New Delhi.
5. Director (Implementation), Deptt. Of Official Language, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi.
6. Legislative Department (Official Language Wing), Shastri Bhawan, New Delhi (10 Copies).
7. Committee of Parliament on Official Languages, 11, Teen Murti Marg, New Delhi.
8. Director (Adm.) Central Water Commission, Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi, 110066.
9. Head of Office, Office of the Chief Engineer Monitoring (S) Organisation, Central Water Commission, Bangalore.
10. Section Officer (1) is requested to put this notification in the website of the Ministry of Water Resources.
11. Asstt. Librarian and Information Officer and Official Language Incharge, Central Water Commission, Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi, 110066.
12. Guard File.


(Rameshbabu Aniyery)
Director(OL)
Tel : 23714374

1 Div (A)
15/12
17.5
1/12.2012
18.12

17.5
21.5.12
17.5 (17.5.12)

17.5

(भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड-3, उपखंड-2 में प्रकाशनार्थ)

सं.1/1/2008-हिन्दी/453-505

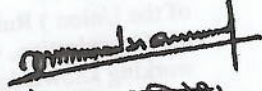
भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांक 27.2.2012

अधिसूचना

का.आ. केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में इस मंत्रालय के मुख्य अभियंता के कार्यालय, प्रबोधन (द.) केन्द्रीय जल आयोग, बंगलूर कार्यालय को, जिसमें 80% कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :-


(रमेश बाबू अग्निहोत्री)
निदेशक (रा.भा)
दूरभाष-23714374

प्रबंधक,
भारत सरकार मुख्यालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।

दिनांक: 27.2.2012

सं 1/1/2008-हिन्दी

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली ।
3. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, पॉकेट-9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110124 ।
4. भारत का निर्वाचन आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
5. निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
6. विधायी विभाग (राजभाषा खण्ड), शास्त्री भवन, नई दिल्ली (10 प्रतियां) ।
7. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
8. निदेशक (प्रशा.), केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 ।
9. विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता का कार्यालय, प्रबोधन (द.), केन्द्रीय जल आयोग, बंगलूर ।
10. अनुभाग अधिकारी (आईटी) को जल संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने हेतु ।
11. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सूचना अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 ।
12. गार्ड फाइल ।


(रमेश बाबू अग्निहोत्री)
निदेशक (रा.भा)
दूरभाष-23714374